झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं0— 2. वि0प्रा0योजना —35 / 15 / राँची, दिनांक—

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

द्वारा :— आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

विषयः— उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग / सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला / परामर्शी शुल्क आदि के निमित कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कुल 5,00,00,000 / — (रू0 पांच करोड़) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :— स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजकीय अभियत्रंण महाविद्यालय, राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग / सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला / परामर्शी शुल्क आदि के निमित कार्यक्रम किया जाने का प्रस्ताव है। उक्त के निमित वित विभाग के पत्रांक—285 दिनांक—25.03.2026 के आलोक में चालू वितीय वर्ष 2026—27 में कुल 5,00,00,000 / — (रू0 पांच करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है :—

क्र0	इकाई का नाम	OSP	TSP	Total
1	कार्यालय व्यय	1,00,000.00 (विपत्र कोड—43S220300003A7010315)		1,00,000.00
2	सेमिनार / समारोह / कार्यशाला	75,00,000.00 (विपत्र कोड—43S220300003A7010321)	23,00,000.00 (विपत्र कोड—43S220300796A7010321)	98,00,000.00
3	आपूर्ति एवं सामग्री	1,00,000.00 (विपत्र कोड—43S220300003A7010323)		1,00,000.00
4	परामर्शी शुल्क	4,00,00,000.00 (विपत्र कोड—43S220300003A7010331)		4,00,00,000.00
	कुल	4,77,00,000.00	23,00,000.00	5,00,00,000.00

2\. (क) राशि की निकासी एवं व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026—27 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष—2203—तकनीकी शिक्षा लघुशीर्ष—003—प्रशिक्षण—उपशीर्ष—A7—प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग—विस्तृत शीर्ष—03—प्रशासनिक व्यय के विभिन्न विस्तृत शीर्षो में उपबंधित राशि में से रू0 4,77,00,000 / — (रू0 चार करोड़ सतहत्तर लाख) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(ख) राशि की निकासी एवं व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026—27 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष—2203—तकनीकी शिक्षा लघुशीर्ष—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—उपशीर्ष—A7—प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग—विस्तृत शीर्ष—03—प्रशासनिक व्यय के सेमिनार / समारोह / कार्यशाला ईकाई में उपबंधित राशि में से रू0 23,00,000 / — (रू0 तेईस लाख) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3\. उपर्युक्त राशि का आवंटन आवश्यकतानुसार विभागान्तर्गत प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग / सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला / परामर्शी शुल्क आदि के लिए विभागीय अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / सहायक निदेशक—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय / उपायुक्त, राँची / उपायुक्त, पलामू / राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय / राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/उपायुक्त, राँची/उपायुक्त, पलामू/संबंधित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के निदेशक/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होगें।
5. राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/जिला कोषागार, राँची/धनबाद/पलामू/गोडड़ा/कोडरमा/बोकारो/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/जमशेदपुर/सरायकेला/उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
7. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा स्कीम कोड़ 1288 है।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित विभाग के आदेश ज्ञापांक– 285/वि0 दिनांक–25.03.2026 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।
9. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का हेागा।
10. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
11. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
12. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 2.वि0प्रा0योजना –35/15 /राँची, दिनांक–
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/जिला कोषागार, राँची/धनबाद/पलामू/गोडड़ा/कोडरमा/बोकारो/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/जमशेदपुर/सरायकेला/उप कोषागार, तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 2.वि0प्रा0योजना –35/15/13/रो0जना /राँची, दिनांक– 06/08/2026
प्रतिलिपि– मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/उपायुक्त, राँची/पलामू/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/अभियंत्रण महाविद्यालय, गोडड़ा/अभियंत्रण महाविद्यालय, बोकारो/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थान, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/बजट पदाधिकारी/नोड़ल पदाधिकारी को Upload करने हेतु/बजट शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.8.26
सरकार के प्रधान सचिव